

राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
गजेन्द्र वगैरह वनाम् सुखाराम वगैरह
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 222/2021

वादीगण-

1. गजेन्द्र पुत्र सुखाराम
2. भंवरलाल पुत्र सुखाराम
3. मूलाराम पुत्र सुखाराम
4. मोहनराम पुत्र सुखाराम, जातियान- जाट निवासीगण-धानणी ,तहसील जायल (नागौर)
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. सुखाराम दत्तक पुत्र उमाराम , जाति- जाट निवासी- धानणी, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 14/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा धानणी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 109 रकबा 15.0138 हैक्टेयर रहती चली आई है। मुत्तदाविया भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म से ही बराबर बंट कायम है तथा वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं होने से वादीगण ने खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

14/10/2021
सहायक कलेक्टर
(उ.डी.ओ.) जायल

1

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 14.10.2021 को कैम्प कोर्ट राजोद में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश वेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर अप्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सुखाराम पुत्र उमाराम, गजेन्द्र सिंह पुत्र सुखाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम धानणी तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 363 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

AGU
सहायक न्यायाधीश
(स.डी.ओ.) जयपुर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा धानणी के वादग्रस्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तराधिकारी वादीगण का जन्म से ही हक बंट होने पर सहखातेदारी के अधिकारी है तथा संयोजित खातेदार होकर अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 109 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदारी की इस्तदुआ चाही है। अतः हम वादीगण का वाद स्वीकार मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 109 में वादीगण संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 109 में वादीगण संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम दत्तक पुत्र उमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार) जायल
सहायक (क्लेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 222/2021

वादीगण-

1. गजेन्द्र पुत्र सुखाराम
2. भंवरलाल पुत्र सुखाराम
3. मूलाराम पुत्र सुखाराम
4. मोहनराम पुत्र सुखाराम

जातियान- जाट निवासीगण-धानणी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. सुखाराम दत्तक पुत्र उमाराम, जाति- जाट निवासी- धानणी, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-


1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 109 में वादीगण संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम दत्तक पुत्र उमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है



(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...14/10/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर ए. उपखण्ड (नगर) अधिकारी
जायल (नगर)